न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : (267/18) 340/2019

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. खींवसिंह पुत्र करणसिंहजी जाति–राजपुत निवासी–बेड़कल्ला, तहसील– जैतारण पाली।		1. भवानीसिंह पुत्र पाबूसिंह 2. हरिसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति–राजपूत निवासी– बैड़कल्ला तहसील– जैतारण जिला–पाली। 3. तहसीलदार, जैतारण ।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.25.09.2018**

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 25/08/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बैड़कल्ला तहसील जैतारण जिला–पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 90/2 रकबा 30–18 बीघा किस्म चाही दोयम आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 की पेश है। उक्त कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार व प्रतिवादी संख्या 1, 1/6 हिस्से, प्रतिवादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। वादी व प्रतिवादी के खेतों के बीच खंदक/ मांठ है तथा उस पर तारबन्दी की हुई है। वाद में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड खातेदारान की सामलाती दर्ज है। जिसका कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा नक्शा ट्रेस में भी सामलाती भूमि दर्ज है तथा तरमीम नहीं हुई है। सामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने में, अलग से कुआं खुदवाकर, उसपर विद्यूत कनेक्शन लेने में तथा अपने हिस्से की भूमि में खाद–बीज लेने हेतु बैंक से ऋण लेने में परेशानी होती है तथा प्रतिवादीगण खेत की खंदक को खुर्द–बुर्द करते है व सामलाती भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये बेचान, हस्तांतरण करने की धमकी दी, तब वादी ने सामलाती भूमि के बंटवाड़ा बाबत् दिनांक 04.10.2018 प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादी स्पष्ट इन्कार हुए, तब वादी ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादी के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादी के 1/3 हिस्से की भूमि को वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में हरे रंग से व प्रतिवादी संख्या 01 की 1/6 हिस्से की भूमि को लाल रंग से तथा प्रतिवादी संख्या 02 के 1/2 हिस्से की भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है उसी माफिक मौके पर पिछले 01 वर्ष से काबिज होकर अलग–अलग काश्त करते है तथा खेतों के बीच तारबन्दी की हुई है। बिनाय वाद दिनांक 04.10.2018 [illegible] के बंटवाड़ा बाबत वादी ने प्रतिवादीगण को कहा तो इन्कार हो[illegible] के खेत की खंद को खुद्र–बुर्द करने व सामलाती भूमि [illegible] बंटवा[illegible] बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.09.07 12:04:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

करने की धमकी देने पर बमुकाम बैंड़ कला तहसील- जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर वकालतनामा पेश हुआ। जो सामिल मिसल है।

प्रतिवादी की ओर जवाबदावा पेश हुआ। जवाबदावे में जाहिर किया कि दावा के पद संख्या 01 का जवाब है कि सरहद मौजा बैड़कलां तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर-90/2 रकबा- 30-18 बीघा किस्म चाही दोयम की आई हुई है। उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 04-09-2017 को मौके पर आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। जबाव दावा के साथ मौके पर नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जिसे जबाव दावा का एक भाग माना जावें। दावा के पद संख्या- दो का जवाब है कि उक्त कृषि भूमि का रेकर्ड में अलग - अलग हिस्से दर्ज नहीं है। माफिक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या एक काबिज नहीं होकर आपसी से बंटवाड़ा दिनांक 04.09.2017 के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते हैं। वादी ने पत्र वाद पत्र के पद संख्या- एक में लिखा है कि वादी व प्रतिवादी के खेतों के बीच खंदक/माठ है तथा उस पर तारबन्दी की हुई है, जबकि मौके पर तारबन्दी नहीं है न अपने अपने हिस्से में आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। वादी जबरदस्ती अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर जबरन कब्जा कर अपने हिस्से की जमीन होना बताते है। उक्त तथ्य के अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार हैं। दावा के पद संख्या- तीन का जवाब है वाद में वर्णित आराजी भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारान की शामलाती दर्ज जरूर है परन्तु सभी खातेदारान की आपसी सहमति से दिनांक 04.09.2017 को बंटवाड़ा की लिखाढ़ी की हुई है जिससे वादी मुर्कर रहा है। वादी साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आया हैं। वाद में वर्णित आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया हुआ है तो अब नये सिरे से बंटवाड़ा कानूनन नहीं किया जा सकता हैं। प्रतिवादी संख्या- एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है वादी धनबल व्यक्ति होने से प्रतिवादी संख्या- एक को आये दिन तंग व परेशान करता हैं। वादी अपनी सुविधा के लिए दावा के रूह मौके की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जावें। वाद में वर्णित आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 04.09.2017 को बंटवाड़ा किया हुआ होने से अब वादी कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ करवाने का अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्य के अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार हैं। दावा का पद संख्या- चार का जवाब है कि वादी ने अपने वाद पत्र के साथ गलत नक्शा बनाकर पेश किया हैं एवं अपने अपनी मन मर्जी से लिखा कि पिछले एक वर्ष से काबिज होकर अलग अलग करते है। एवं वादी ने उक्त आराजी का अपने पक्ष में हक तर्क नामा भी विधि विरूद्ध करवाया है क्योकि प्रतिवादी को येन केन प्रकार से तंग व परेशान कर अपने हिस्से कि जमीन से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है। दावा के पद संख्या- पांच का जवाब कानूनी है। लेकिन वादी ने प्रतिवादी संख्या- दो के विरूद्ध वाद पेश करने से पहले दो माह का नोटिस नहीं दिया एवं न ही वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80/2/ सीपीसी का [illegible] अनुमति लेकर वाद प्रस्तुत नहीं किया। दावा के पद संख्या [illegible] जवाब है कि वाद में वर्णित आराजी का आपसी सहमति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.09.07 12:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(फास्ट ट्रैक)

2017 को कर लिया गया इसलिए वादी को प्रतिवादी संख्या– एक के विरूद्ध किसी प्रकार का बिनाय दावा उत्पन्न नहीं होता हैं। वादी बिना बंटवाड़ा ही अपने पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से हकतर्क नामा करवाया हैं। वादी ने केवल मात्र वाद प्रस्तुत करने की गरज से गलत लिखा हैं। वादी का वाद हेतुक के अभाव में खारिज योग्य हैं। दावा का पद संख्या– कानूनी हैं। दावा का पद संख्या आठ प्रार्थना बाबत् गलत होने से अस्वीकार हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 04.09.2017 को कर लिया गया इसलिए अब नये सिरे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा कानूनन नहीं किया जा सकता है वादी ने अपने वाद पत्र के साथ गलत नक्शा बनाकर पेश किया है। प्रतिवादी संख्या– एक भी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2074–77 खसरा नंबर 90/2 रकबा 30–18 बीघा किस्म चाही दोयम का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त होने से अपने–अपने हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा चाहते है। लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे वादी का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व मौजा– बैड़कलां, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 90/2 रकबा 30/18 बीघा, किस्म चाही दोयम की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1153 दिनांक 26/12/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2020/2377 दिनांक 30/07/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.09.07 12:04:16 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा– बैड़कलां, पटवार हल्का– बैड़कलां, तहसील–जैतारण जिला–पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 90/2 रकबा 30/18 बीघा, किस्म चाही दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	खींवसिंह पुत्र करणसिंह कौम राजपुत सा0देह खातेदार	90/2	10-05	चाही दोयम	35.87
2	भवानीसिंह पुत्र पाबुसिंह कौम राजपुत सा0देह खातेदार	90/4	5-02	चाही दोयम	17.85
3.	हरिसिंह पुत्र बलवन्त सिंह कौम राजपुत सा0देह खातेदार	90/5	15-07	चाही दोयम	53.72
4.	भवानीसिंह पुत्र पाबुसिंह 1/6 खींवसिंह पुत्र करणसिंह 1/3 हरिसिंह पुत्र बलवन्त सिंह 1/2 कौम राजपुत सा0देह खातेदार (शामलात रास्ता प्रयोजनार्थ)	90/06	0-04	चाही दोयम (रास्ता हेतु)	0.71

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/08/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.09.07 12:04:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

2. खींवसिंह पुत्र करणसिंहजी
जाति-राजपुत
निवासी-बेड़कल्ला, तहसील-
जैतारण पाली।

4. भवानीसिंह पुत्र पाबूसिंह
5. हरिसिंह पुत्र बलवंतसिंह
जाति-राजपूत निवासी- बैड़कल्ला
तहसील- जैतारण जिला-पाली।
6. तहसीलदार, जैतारण ।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 340/2019 (267-18)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चुतराराम भाटी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व मौजा- बैड़कलां, पटवार हल्का- बैड़कलां, तहसील-जैतारण जिला-पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 90/2 रकबा 30/18 बीघा, किस्म चाही दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	खींवसिंह पुत्र करणसिंह कौम राजपुत सा0देह खातेदार	90/2	10-05	चाही दोयम	35.87
2	भवानीसिंह पुत्र पाबुसिंह कौम राजपुत सा0देह खातेदार	90/4	5-02	चाही दोयम	17.85
3.	हरिसिंह पुत्र बलवन्त सिंह कौम राजपुत सा0देह खातेदार	90/5	15-07	चाही दोयम	53.72
4.	भवानीसिंह पुत्र पाबुसिंह 1/6 खींवसिंह पुत्र करणसिंह 1/3 हरिसिंह पुत्र बलवन्त सिंह 1/2 कौम राजपुत सा0देह खातेदार (शामलात रास्ता प्रयोजनार्थ)	90/06	0-04	चाही दोयम (रास्ता हेतु)	0.71

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/08/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.09.07 12:04:16 IST
Reason: SelfAttested